

**समाहरणालय, पटना  
(जिला स्थापना शाखा)**

फोन नं.-0612-2219545 (काठ)  
फैक्स नं.-0612-2218900  
E-mail ID-edcpatna@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

## आदेश

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सा०प्र०वि०), बिहार पटना से प्राप्त दिशा-निदेश के आलोक में कार्यपालक सहायकों को जिला के भिन्न-भिन्न कार्यालय आर०टी०पी०एस०, लोक शिकायत निवारण कार्यालयों, अनुमंडल कार्यालय, प्रखण्ड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय में आवश्यकतानुसार नियोजन किया गया है तथा सेवा प्रदान की गयी है। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारी अपने स्तर से कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत कर रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये गये पूर्व के सभी प्रतिनियुक्ति आदेश को रद्द किया जाता है।

उपरोक्त स्थिति में निदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बिना किसी भी कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी। और यदि आवश्यक होगा तो इसके लिए सुस्पष्ट प्रस्ताव कारण सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरात प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

८ -

जिला पदाधिकारी,  
पटना।

ज्ञापांक—...XXXV-05/2020.....२१/९६...../स्था०, पटना, दिनांक—२८/१२/०२०

प्रतिलिपि :— आई०टी० प्रबंधक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :— जिला स्तरीय कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :— सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।

ग्रामीण  
जिला पदाधिकारी,  
पटना।